# उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

## अनुज्ञप्ति रद्द अपील वाद संख्या–02/2012

राज किशोर वर्मा

– बनाम –

राज्य, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग

| *ादेश की पंजी ख्या एवं तारीख* | *आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर* | *आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी/तारीख* |
|---|---|---|
| *दिनांक* 7.12.2021 | 1. प्रस्तुत मामला अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग के द्वारा जनवितरण प्रणाली दुकान अनुज्ञप्ति संख्या–04/94 एवं एकरारनामा को रद्द किये जाने के विरूद्ध अपील किये जाने से संबंधित है।<br>2. अपीलार्थी श्री राज किशोर वर्मा, पिता–स्व0 गोविन्द राम वर्मा के द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से बताया गया कि उन्हें हजारीबाग के सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत बिहार व्यापार लेख लाईसेसिंग एकीकरण अधिनियम, 1984 के तहत अनुज्ञप्ति सं0–04/94 से अनुज्ञप्ति प्राप्त था। उनके द्वारा वर्ष 1994 से सितम्बर, 2011 तक लाभुकों/ग्राहकों को उचित ढंग से सेवा दी गई। दिनांक–11.06.2011 को उनके द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग को आवेदन पत्र समर्पित कर भारी बारिश होने के कारण अनाज के खराब हो जाने की संभावना को देखते हुये व्यवसाय स्थल को परिवर्तित करने के संबंध में सूचना दी गई। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उन्हें (अपीलार्थी को) व्यवसाय परिसर बदलने से संबंधित विवरणी शपथ पत्र के माध्यम से देने को कहा गया।अपीलार्थी द्वारा दिनांक–15.06.2011 को इसके संबंध में शपथ पत्र समर्पित किया गया।<br>3. अपीलार्थी द्वारा पुनः बताया गया कि व्यवसाय परिसर को परिवर्तित किये जाने के बाद तक स्टॉक रजिस्टर, कैश मेमो, नोटिश बोर्ड को अद्यतन रखते हुये सितम्बर, 2011 तक वस्तुओं का विक्रय किया गया। अक्टूबर, 2011 में अक्टूबर माह से संबंधित सामग्रियों का उठाव नहीं किया गया। दिनांक–21.10.2011 को अपीलार्थी अपने बीमारी के इलाज हेतु सदर अस्पताल गये थे, जिसके कारण दुकान को 8 बजे सुबह से 12 बजे मध्याह्न तक नहीं खोला गया। उसी दिन लगभग 10 बजे अनुज्ञप्ति प्राधिकार एवं उनके साथ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, | |

| ादेश की पंजी संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी/तारीख |
|---|---|---|

चुरचू तथा कटकमसांडी के द्वारा अपीलार्थी के अनुपस्थिति में शिवपुरी स्थित जन वितरण प्रणाली के नये व्यवसाय स्थल का निरीक्षण किया गया तथा ज्ञापांक–2278/गो0 दिनांक–21.10.2011 से कारण पृच्छा की माँग की गई। उनके (अपीलार्थी) द्वारा उक्त से संबंधित कारण पृच्छा का जवाब दिनांक–25.10.2011 को अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर–सह–अनुज्ञप्ति प्राधिकार को समर्पित किया गया। परन्तु अनुज्ञप्ति प्राधिकार द्वारा उनके ज्ञापांक–99/गो0, दिनांक–12.01.2012 के द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या–04/94 एवं एकरारनामा को रद्द कर दिया गया जो नियम विरूद्ध है। आवेदक ने प्रासंगिक आदेश को खारिज करते हुए अनुज्ञप्ति बहाल करने का अनुरोध किया है।

4. सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने पक्ष रखा। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के विरूद्ध बिना पूर्व सूचना के दुकान बंद रखने, स्थल परिवर्तन करने, वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है। अतः उक्त गंभीर आरोपों के कारण अनुज्ञप्ति स्थगन के आदेश को बहाल रखने का अनुरोध किया है।

5. अपीलार्थी के उक्त आवेदन पत्र पर अनुज्ञप्ति रद्द अपील वाद संख्या–02/2012 प्रारम्भ कर मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में उभय पक्षों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा दिनांक–12.01.2012 को पारित आदेश में विक्रेता श्री राज किशोर वर्मा के नाम से निर्गत जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति एवं एकरारनामा को तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया गया, जिसकी सूचना उनके कार्यालय पत्रांक–99/गो0, दिनांक–12.01.2012 से श्री राज किशोर वर्मा तथा अन्य संबंधित को दी गई।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा दिनांक–12.01.2012 को पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है:–

*"..... इस तरह विक्रेता द्वारा बिना पूर्व सूचना के दुकान बंद रखना, बी0पी0एल0 एवं अतिरिक्त बी0पी0एल0 लाभुकों की सूची दुकान के बाहर अमीट स्याही से नहीं लिखवाना, दुकान परिसर भी खाद्यान्न की*

| आदेश की पंजी संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी/तारीख |
|---|---|---|

*गुणवत्ता के दृष्टिकोण से नहीं रखना तथा बिना सक्षम पदाधिकारी से आदेश प्राप्त किये अनुज्ञप्ति का व्यापार परिसर अन्य स्थल पर संचालित करना बिहार अनुज्ञप्ति एकीकरण आदेश 1984 के शर्त संख्या–03, 10, 11 एवं 12 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश–1996/2001 में निहित आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।*

*अतः श्री राज किशोर वर्मा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, शिवपुरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए इसे अस्वीकृत किया जाता है तथा विक्रेता के नाम निर्गत जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति संख्या–41/94 एवं एकरारनामा को तत्कालिक प्रभाव से रद्द दिया जाता है।"*

5. उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजातों/दस्तावेजों एवं सुनवाई के क्रम में रखे गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में प्रस्तुत कारण पृच्छा दिनांक–25.10.2011 में बताया गया है कि उनके द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान का स्थल परिवर्तन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के साथ मौखिक वार्ता के आधार पर किया गया, जबकि अपने अपील आवेदन में उनके द्वारा दुकान का स्थल परिवर्तन से संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग को संबोधित दिनांक–11.06.2011 का पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी का स्वयं का कथन विरोधाभाषी है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी स्वयं गलत तथ्य प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करना चाह रहे हैं। अपीलार्थी ने कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलार्थी के दावा की पुष्टि हो सके।

अतः अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता एवं उपरोक्त तथ्यों एवं निष्कर्ष के आलोक में अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2022.04.09 14:00:02 +05:30
Location: 192.168.100.105

उपायुक्त, हजारीबाग

उपायुक्त, हजारीबाग